

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 54B/2016-17

सुकुमार प्रमाणिक एवं अन्य 2 बनाम सुनिता सिंह

:: आदेश ::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
--------	---------------------------------	-----------

23.6.2018

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता 1. सुकुमार प्रमाणिक पिता स्व० राम पद प्रमाणिक 2. श्याम सुन्दर प्रमाणिक पिता स्व० रामपद प्रमाणिक 3. अभिजित प्रमाणिक पिता स्व० अशोक कुमार प्रमाणिक, ग्राम-बड़ाआमदा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता सुनिता सिंह पति- अमर सिंह, ग्राम-आसंगी, थाना-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।